

न्यायालय, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

हिन्दू विवाह अधिनियम प्र0क0 100064 / 16

संस्थापन दिनांक 26.09.16

मुकेश कुमार उर्फ रिकू जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, आयु 35 वर्ष, निवासी सेंट्रल बैंक के सामने वार्ड क. 14 कस्बा मौ, परगना गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)	आवेदक
--	-------

## ॥ विरुद्ध ॥

श्रीमती अर्चना जैन पत्नी मुकेश कुमार जैन, पुत्री पुरुषोत्तम दास गर्ग, उम्र 33 वर्ष, निवासी 14ई चेतकपुरी डॉक्टर मीनू गर्ग का मकान लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)	अनावेदिका
--	-----------

आवेदक द्वारा – श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता  
अनावेदिका पूर्व से एकपक्षीय

**एकपक्षीय निर्णय**

(आज दिनांक 28/04/2017 को पारित किया गया)

01. आवेदक की ओर से यह याचिका हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के अंतर्गत अनावेदिका से हुए विवाह विच्छेद के संबंध में प्रस्तुत की है।
02. आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका इस प्रकार है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ वर्ष 1998 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था, जिनके संसर्ग से एक पुत्री अपूर्वी, अंशिका जैन व पुत्र अंश जैन का जन्म हुआ है। विवाह के समय से ही अनावेदिका आवेदक व उसके परिवार से झगडा करती थी और उल्टी सीधे बातें करती थी, घर का सामान बाहर फेंक देती थी और आवेदक के गांव में न रहकर ग्वालियर में रहने का बोलती

थी। दिनांक 25.12.14 को अनावेदिका अपने तीनों के साथ घर में रखे हुए सोने चाँदी के जेवर साथ लेकर ग्वालियर चली गई जिस संबंध में आवेदक के द्वारा पुलिस थाना मौ को दिनांक 18.03.15 को आवेदनपत्र दिया गया था। आवेदक की ओर से अनावेदिका को अपने पास रखने हेतु अपर जिला जज गोहद में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रस्तुत किया था जो आवेदक के पक्ष में दिनांक 10.09.15 को निराकृत किया गया है। उक्त आदेश के पालन में आवेदक के द्वारा अनावेदिका को दिनांक 04.11.15 को जरिए स्पीडपोस्ट नोटिस भेजे, इसके उपरांत भी अनावेदिका उसके साथ रहने के लिए नहीं आई। आवेदक के द्वारा डिक्री के प्रवर्तन हेतु आदेश 21 नियम 32 सहपठित धारा 151 जा.दी. का न्यायालय में पेश किया गया है जिसकी पेपर में सूचना उपरांत अनावेदिका न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। वह अनावेदक के साथ रहना नहीं चाहती है। अनावेदिका कूरतापूर्ण व्यवहार करती है जिससे आवेदक का उसके साथ रह पाना भी मुश्किल हो गया है। आवेदक अनावेदिका से तलाक लेना चाहता है। अतः याचिकाकर्ता एवं अनावेदिका के मध्य हुआ विवाह विखंडित किये जाने की सहायता चाही है।

03. अनावेदिका प्रकरण में उपस्थित नहीं रही है और न ही उसकी ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया गया। अनावेदिका के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

04. आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में आवेदक स्वयं मुकेश कुमार उर्फ रिकू जैन आ0सा0 1 एवं अशोक कुमार जैन आ0सा0 2 की एकपक्षीय साक्ष्य कराई गई है।

05. इस याचिका के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:-

1. क्या अनावेदिका ने आवेदक के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किया?
2. क्या अनावेदिका ने सक्षम न्यायालय से आवेदक के प्रति दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री होने के पश्चात् भी प्रत्यास्थापन प्रारंभ नहीं किया?
3. सहायता एवं व्यय?

### // साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

06. उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

07. आवेदक की ओर से प्रमुख रूप से यह आधार लिया गया है, इस संबंध में आवेदक साक्षी मुकेश कुमार आ0सा0 1 एवं अशोक कुमार आ0सा0 2 के कथन रहे हैं कि आवेदक का अनावेदिका से विवाह वर्ष 1998 में हुआ था। दोनों के संसर्ग से पुत्री अपूर्वी, अंशिका एवं पुत्र अंश जैन उत्पन्न हुए थे। विवाह के बाद से ही अनावेदिका आवेदक से इस बात के लिए झगडा करती थी कि ग्वालियर में चलकर रहो मैं तुम्हारे साथ मौ में नहीं रहूँगी। अनावेदिका का व्यवहार आवेदक के प्रति ठीक नहीं था और अनावेदिका उल्टी सीधी बातें करती थी और कोई भी काम नहीं करती थी तथा घर का सामान फेंकने लगती थी और अपने आपको नुकसान पहुँचाने लगती थी तथा बार बार मायके जाने की धमकी देते थी, जिससे आवेदक परेशान रहता था।

08. आवेदक साक्षियों के कथनों में यह भी आया है कि दिनांक 25.12.2014 को अनावेदिका आवेदक के घर से चली गई तथा आवेदक के घर में रखा सोने चाँदी का सामान साथ ले गई। तभी से वह ग्वालियर में निवास कर रही है। आवेदक ने अनावेदिका को लाने के लिए गोहद न्यायालय में धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दाम्पत्य संबंधों की पुनरस्थापना के लिए याचिका भी प्रस्तुत की थी, जिसमें आवेदक के पक्ष में आज्ञाप्ति हुई थी। तत्पश्चात् निष्पादन याचिका भी लगाई थी, जिसमें नोटिस भी जारी हुए थे, किन्तु उसके पश्चात् भी अनावेदिका उपस्थित नहीं हुई। साथ ही साक्षियों का यह भी कहना रहा है कि अनावेदिका ने आवेदक के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा गंभीर यातनाएं दी हैं, इसके पश्चात् भी आवेदक पूर्व में अनावेदिक को लाने के लिए तत्पर था, किन्तु पुनरस्थापन की डिक्री प्राप्त होने जाने के पश्चात् भी अनावेदिका आवेदक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है।

09. आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र.पी. 1 जो कि इसी न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2015 वैवाहिक में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसमें अनावेदिका को दाम्पत्य संबंधों के पुनरस्थापन हेतु आदेशित किया गया है।

प्र.पी. 2 आवेदक द्वारा अनावेदिका को भेजे गए लीगल नोटिस है, प्र.पी. 3 लीगल नोटिस की डॉक से भेजने की रशीद है, प्र.पी. 4 आवेदक द्वारा अनावेदिका के विरुद्ध दाम्पत्य संबंधों की पुनरस्थापन एवं पारित की गई डिक्री के आधार पर प्रस्तुत की गई निष्पादन याचिका की प्रमाणित प्रतिलिपि है।

10. आवेदक साक्षियों की ओर से जो कथन किए गए हैं उन कथनों की पुष्टि प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से होती है, क्योंकि आवेदक की ओर से पूर्व में यह आधार लिया गया था। अनावेदिका पूर्व प्रकरण में भी उपस्थित नहीं हुई थी और इस प्रकरण में भी उपस्थित नहीं हुई है, जबकि दोनों ही प्रकरणों में अनावेदिका पर विधिवत नोटिस की तामीली होनी दर्शाई गई है। ऐसी स्थिति में जहाँ कि अनावेदिका प्रकरण में जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रही है। आवेदक की ओर से लिए गए आधार जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित हैं जो कि अखण्डनीय रहा है पर विश्वास किये जाने का कारण रिकार्ड पर नहीं है।

11. प्रकरण में दाम्पत्य संबंधों की पुनरस्थापना की डिक्री दिनांक 10.09.2015 को पारित की गई है, जबकि आवेदक की ओर से यह याचिका 20.09.2016 को प्रस्तुत की गई है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य दाम्पत्य संबंधों का प्रत्यास्थापन पक्षकारों के मध्य डिक्री पारित करने के एक वर्ष पश्चात् तक भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से जो कि अखण्डनीय रही है, आवेदक हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(क)(II) के आधार प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

12. जहाँ तक अनावेदिका द्वारा आवेदक के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने संबंधी प्रकरण में जो एकपक्षीय साक्ष्य आई है उस पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। एक पत्नी का अपने पति के साथ बार बार विवाद करना, झगडा करना, पति की पैत्रिक गांव से जाकर अपने मायके ग्वालियर में निवास करने की जिद करना और न मानने पर मायके में जाकर रहना, निश्चित रूप से अनावेदिका का उक्त कृत्य आवेदक के प्रति कूरता की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

13. अतः आवेदक प्रस्तुत एकपक्षीय अखण्डनीय साक्ष्य से प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अनावेदिका ने आवेदक के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किया।

14. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में आवेदक प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अनावेदिका ने आवेदक के प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किया एवं अनावेदिका ने प्रत्यास्थापन की डिकी के पश्चात् भी दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं किया है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निराकरण "सावित" के रूप में किया जात है।

15. अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत यह विवाह याचिका स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णित किया जाता है—

1. आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य हुआ विवाह आज निर्णय दिनांक से विच्छेदित किया जाता है। आवेदक एवं अनावेदिका अब पति पत्नी नहीं रहे हैं।
2. उभय पक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।
3. अभिभाषक शुल्क प्रमाण पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार जो भी कम हो रुपये 500/-रुपए की सीमा तक मान्य की जाती है।  
तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जाये।

15. आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय दिनांक से 15 दिवस के अंदर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अनावेदिका को उसके वर्तमान पते पर रजिस्ट्री कर डॉक से भेजे और जिसकी रसीद प्रकरण में संलग्न करे।

निर्णय आज दिनांकित हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित  
किया गया ।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर जिला न्यायाधीश गोहद  
जिला—भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर जिला न्यायाधीश गोहद  
जिला—भिण्ड (म.प्र.)